

न्यायालय नायब तहसीलदार पी.लवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का आलरा
बनाम

अप्रार्थी :- श्री घनाराम नायगराज जाट निवासी लाखियास अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व
अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 47/2018
निर्णय —

दिनांक 31.7.2018

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का आलरा में अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सन् 2075 में सरहद लाखियास के खसरा नम्बर 61562 नी. किरम 3090 में रकबा 0.65 ई. बीघा भूमि में कृपाल लगा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री गोपचर ने दिनांक 31.7.2018 को उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली व पत्रावली पर उम्लवा दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का भोजा लाखियास के खसरा नम्बर 61562 किरम गै. 3090 में रकबा 0.65 ई. बीघा का भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से वेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6 रुपये प्रति ई की दर से अतिक्रमित रकबा 0.65 ई. बीघा भूमि के 390 रुपये लगान का 50 गुणा 195 रुपये अक्षरे 93 प्रतिशत रुपये दत्तोर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से वेदखल कर पालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 31.7.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार पी.लवा